उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19–सी, विधानसभा मार्ग

लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

<u>सूचना / विज्ञप्ति</u>

स्पेशल लीव पिटीशन संख्याः 21843–21844 / 2015, हनुमान दत्त शुक्ला व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2016 को दिये गये निर्णय के कम में मुख्य लिखित परीक्षा में ह्वाइटनर / ब्लेड का प्रयोग करने के <u>कारण चयन से बाहर हुए अभ्यर्थियों का चयन परिणाम।</u>

संख्याःपीआरपीबीः अनु–6–प–1 / 2015(पार्ट फाइल)   दिनांकःमई 21 ,2016

1– स्पेशल लीव पिटीशन संख्याः 21843–21844 / 2015, हनुमान दत्त शुक्ला व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में दिनांक 19 जनवरी, 2016 को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्णय में मुख्य लिखित परीक्षा में अपने ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में ह्वाइटनर / ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों के प्रकरण में निम्नवत निर्देश दिये गये थेः–

(1)– उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा–2011–

........................Insofar as the merit list of candidates participated in the selection process for the post of Sub-Inspectors are concerned, out of the list of 810 candidates, it is stated by the learned Advocate General, on instructions received from the Principal Secretary (Home), that 670 candidates can be taken on the post of Sub-Inspector (Civil Police), the C. A. Nos. 587-588/16 @ SLP(C) Nos. 21843-44/15 etc. 3 remaining 140 candidates can be appointed on the post of Platoon Cadre (PAC), which post also is equivalent to the post of Sub-Inspector (Civil Police). Further, while giving appointment in the above manner from out of the select list, learned Advocate General has stated that there will be no right of seniority in the candidates already in the original seniority list and a separate/fresh merit list of 810 candidates will be prepared on the basis of marks obtained by them and they will be kept below the candidates in the original seniority list. Appointments out of such select list that would be drawn on the basis of the marks secured by each one of the candidate to the post of Civil Police/PAC in terms of the fresh merit list of 810 candidates will be drawn purely on the basis of merit and preference indicated by the applicants in their application forms at the time of submission. The State will select only 810 candidates, as per the list, who were originally in the merit list, but were not selected due to use of whitener/blade in the OMR sheets.------------------

(2)– आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013–

------------- As regards the selection of Constables, learned Advocate General stated that the State can accommodate only those candidates who could have been selected, had they not been excluded from the final result for having used whitener/blade in OMR sheets. For this purpose, Board will prepare Notional Result as per notified vacancies (41, 610), after including all candidates who had used whitener/blad. Thereafter, separate list of all such candidates will be prepared who have found place in notional result, but could not find place in the result declared on 16.07.2015. After preparation of separate list of all such candidates, State will take steps to accommodate them, out of which 2500 candidates can be appointed as Constables in PAC, 1000 candidates can be appointed as Constables in Fire Service and rest of the candidates can be appointed in Civil Police. A Separate list will be prepared on the basis of marks obtained by them and such candidates will be kept below the already selected candidates. State will appoint only those candidates who are in the fresh Notional Result to be prepared by the Board, who could not be selected due to use of whitener/blade. None other will have any claim to appointment. All new candidates will be sent for training after completion of training of already selected candidates, as there is no vacancy in training centres at present. Appointments will be done as an exceptional and one-time measure. This will not be treated as a precedent for any other case.

2– सूच्य है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती–2011 की चयन प्रकिया के अन्तर्गत रिट याचिका संख्या: 67782/2014 साकेत कुमार व 03 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा इससे सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29–05–2015 के अनुपालन में मुख्य लिखित परीक्षा में अपने ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में ह्वाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को हटाते हुए नये सिरे से चयन परिणाम बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्या:पीआरपीबी: अनु–6–प–1/2015 दिनांक: 25 जून, 2015 के द्वारा घोषित किया गया था।

3– इसी आधार पर आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भी मुख्य लिखित परीक्षा में अपने ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में ह्वाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को हटाते हुए बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी–अनु–6–प–06/2015 दिनांक 16–07–2015 के द्वारा चयन परिणाम घोषित किया गया था।

4– अत: प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या: डीजी–चार–106(266)2006, दिनांक 22–03–2016 के संदर्भ में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या: 631/6–पु0–10–2016–27(58)/2015 दिनांकित 27–04–2016 में प्राप्त पदों की स्वीकृति के कम में उप

निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती–2011 की चयन प्रक्रिया में मुख्य लिखित परीक्षा में अपने ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने के कारण चयन से बाहर हुए 808 उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें 24 ऐसे अभ्यर्थी सम्मिलित है जिनका चयन भविष्य में प्रभावित हो सकता है। अतः इनके चयन स्पेशल अपील डिफेक्टिव संख्याः 338/2016 उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य बनाम आशीष कुमार पाण्डेय व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन है।

5– इस चयन में दिनांक 16–03–2015 को घोषित परिणाम में आवंटित पद के अनुसार 748 अभ्यर्थी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर एवं 60 अभ्यर्थी प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पद पर चयनित है। 02 अभ्यर्थी पायल शर्मा (अनुक्रमांक–423110448) एवं मनजीता यादव (अनुक्रमांक–449100056) द्वारा प्रस्तुत मूल निवास प्रमाण पत्र पीएसटी की तिथि के बाद का पाये जाने के कारण इन्हें आरक्षण का लाभ देय न होने से ये 02 महिला अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के न्यूनतम कटआफ से कम अंक पाकर अचयनित है। अतः इनके नाम मुख्य लिखित परीक्षा में व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले 810 अभ्यर्थियों की सूची से हटा दिये गये हैं।

6– इसी प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्याः डीजी–चार–106(266)2006, दिनांक 22–03–2016 के संदर्भ में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 631(1)/6–पु0–10–2016–27(58)/2015 दिनांकित 27–04–2016 में प्राप्त पदों की स्वीकृति के क्रम में आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 की चयन प्रक्रिया में मुख्य लिखित परीक्षा में अपने ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए नोशनल परिणाम बनाने पर चयनित हुए 4429 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। यह चयन रिट याचिका संख्याः 51459/2015 कौशल गिरि बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07–12–2015 के आलोक में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन है।

7– इस चयन में नोशनल परिणाम में उनको आवंटित होने वाले पद के अनुसार 3874 अभ्यर्थी पुलिस आरक्षी के पद पर, 401 अभ्यर्थी आरक्षी पीएसी के पद पर एवं 154 अभ्यर्थी फायरमैन के पद पर चयनित है।

8– यह चयन परिणाम बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी यह चयन परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर अपना अनुक्रमांक व जन्मतिथि डालकर देख सकते है।

9– उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती–2011 की मुख्य लिखित परीक्षा में व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले 808 चयनित अभ्यर्थियों की **सूची–परिशिष्ट–क** एवं इसमें सम्मिलित भविष्य में प्रभावित हो सकने वाले 24 अभ्यर्थियों की **सूची–परिशिष्ट–ख** तथा आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 की मुख्य लिखित परीक्षा में व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले 4429 अभ्यर्थियों की **सूची–परिशिष्ट–ग** बोर्ड की वेबसाइट http:// uppbpb.gov.in पर उपलब्ध है।

10– दिनांक 19 जनवरी, 2016 के मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के उपरोक्त निर्णय के अनुसार इन चयनित अभ्यर्थियों को मूल ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों में ज्येष्ठता का कोई अधिकार नहीं होगा तथा इन्हें पूर्व से चयनित अभ्यर्थियों से नीचे रखा जायेगा। सभी नये चयनित अभ्यर्थी पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के पूरा होने के पश्चात प्रशिक्षण के

लिए भेजे जायेंगे। इनकी नियुक्ति अपवादस्वरूप तथा एकबारगी उपाय के तौर पर होगी और किसी अन्य मामले के लिए दृष्टान्त स्वरूप नहीं मानी जायेगी।

11— यद्यपि इस चयन परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर इस त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा।

12— यह चयन परिणाम सर्वसाधारण के लिए सूचित किया जा रहा है। अतः जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

अपर सचिव, भर्ती,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।